



2026:AHC:176434

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7307 वर्ष

2026

सचिन कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमितराणा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह आवेदक-सचिन कुमार की ओर से दूसरा अग्रिम ज़मानत आवेदन है। उनका पहला अग्रिम ज़मानत आवेदन संख्या 4970/2026 पर ज़ोर नहीं दिया गया था और उन्हें नया आवेदन दाखिल करने की छूट दी गई थी। इस न्यायालय की संबंधित पीठ ने 21.05.2026 के आदेश के ज़रिए उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी।
3. यह अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 0116/2025 (धारा 318(4), 61(2), 338 बीएनएस, थाना- नगीना, ज़िला- बिजनौर) में अग्रिम ज़मानत पाने के लिए दाखिल की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



4. आरोपी-आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी-आवेदक को 27.06.2025 को दर्ज प्राथमिकी में झूठा फँसाया गया है। सूचनाकर्ता का आरोप है कि सह-आरोपी मेराजुल हसनैन और मुमताज़ बानो ने खसरा संख्या 593/1 की ज़मीन विक्रय की है, जिसमें सूचनाकर्ता की ज़मीन (खसरा संख्या 611) की सीमाएँ दिखाई गई हैं। आरोपी-आवेदक इस विलेख का इकलौता साक्षी है। उसने विलेख के निष्पादन को देखा है। आगे यह भी कहा गया है कि ज़मीन के विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय में पहले से ही एक दीवानी वाद चल रहा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक विक्रय विलेख को निष्पादित करवाने में शामिल नहीं था और न ही उसे इस लेन-देन से कोई फ़ायदा हुआ है। विवेचना के दौरान, आरोपी-आवेदक को गिरफ़्तार नहीं किया गया क्योंकि उसे रिट न्यायालय से अंतरिम राहत मिल गई थी। आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। आरोपी-आवेदक विचारण न्यायालय के सामने पेश होना चाहता है, लेकिन उसे गिरफ़्तारी का डर है, इसलिए वह अग्रिम ज़मानत चाहता है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-आरोपी सोनू चौधरी को इस न्यायालय के 21.05.2026 के आदेश (आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन संख्या 4970/2026) के तहत पहले ही अग्रिम ज़मानत दी जा चुकी है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए. ने अग्रिम ज़मानत की आवेदन का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों से इनकार नहीं करते हैं।

6. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत की आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जैसे साक्षियों को डराना-धमकाना, की संभावना, और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।



8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676 प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर विवेचना करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने या आरोपी के भाग जाने की संभावना हो। सिर्फ़ इसलिए कि गिरफ्तारी करना विधिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति और उसके इस्तेमाल के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और उसने वास्तव में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

9. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत के लिए प्रकरण बनता है।

10. इसलिए, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम ज़मानत की आवेदन स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर आवेदक -सचिन कुमार, जो उक्त प्रकरण में शामिल है को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू देनी होंगी, जो संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय को स्वीकार्य हों;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर विवेचना अधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।



11. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/सूचनाकर्ता के पास यह अधिकार है कि वे संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम ज़मानत को निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

20 अगस्त, 2026

नितेंद्र

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!